ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No. :UPBIL04292,
RNI REG. No.: UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No.: 561/2013-14 Vol.-5, No.-II, PP-334-338,YEAR- DEC.2016

आगरा नगर के निर्बल वर्ग में नशाखोर एवं अपराधीजगत

❑ सनातन सिंह ओझा

सामाजिक समस्या का आशयः— *साधारण शब्दों में एक सामाजिक समस्या, किसी समाज के व्यक्तियों के लिए वह अवांछित सामाजिक दशा है जो उस समाज के प्रतिमानों के अनुरूप होकर (प्रतिकूलतः) सामाजिक विघटन का प्रतिफलन स्वरूप होती है।*

मादक द्रव्य व्यसन का आशय व लक्षणः— *भारत में प्राचीन काल से ही मादक द्रव्यों का प्रयोग लोग करते आये हैं, जिसका कारण यह था कि मादक पदार्थो के सेवन को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। आर्य लोग सोमरस पान किया करते थे, अथर्ववेद में भाँग के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भाँग के लिए 'विजया' शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में अफीम, भाँग, चरस, गाँजा, कोकीन, माजून, मोरफीन, मोरिजुआना, पैथोडीन इत्यादि का सेवन किया जाता रहा है। इनमें कुछ पेय पदार्थ है, तो कुछ धूम्रपान व खाने की वस्तुएँ हैं, जो नशा करती हैं, तो कुछ नींद लाने वाली, यदि इन्हें शौक—शौक में एकाध बार सेवन कर लिया जाये तो फिर व्यक्ति को इन्हें लेने की आदत पड़ जाती है, यही लत‍‌आदत मादक द्रव्य व्यसन कहलाता है।*

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेषज्ञ समिति ने इसको परिभाषित करते हुये लिखा है कि—

नशे की आदत कभी—कभी या लगातार नशा करने से पड़ती है यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हैं। यह आदत बार—बार नशीली वस्तु खाने या पीने से बनती है। यह नशीली वस्तु प्राकृतिक रूप में किसी पेड़ की पत्ती या फूल हो सकती है या बनायी हुई शराब आदि हो सकती है। मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएँः—

इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

1— नशे की आदत व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं कि वह कब नशा करें।

2— नशे में एक प्रवृत्ति यह भी होती है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ायी जाये।

3— नशेबाज का मन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और कभी—कभी शरीर भी नशे के प्रभाव के अधीन हो जाता है।

इस प्रकार मादक पदार्थो का दुरुपयोग को न केवल ''विपथगामी व्यवहार'' के रूप में बल्कि एक सामाजिक समस्या की तरह देखा जा सकता है, जिसके दो आयाम प्रथम— व्यक्ति के सामाजिक असमायोजन। द्वितीय— समाज एवं व्यक्ति के लिये घातक होते हैं। परन्तु भारत में वर्तमान में भी मादक पदार्थो का सेवन असामाजिक व्यवहार न मानकर ''विपथगामी व्यवहार'' ही माना जाता है।

मद्यपान का आशय— ''मद्यपान'' को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न—भिन्न प्रकार से परिभाषित करते हुए आशय स्पष्ट किये हैं। सामान्यतः मद्यपान वह अवस्था है जब व्यक्ति के लिये शराब पीना इतना आकर्षण बन जाता है कि वह व्यक्ति बिना यह सोचे—समझे ही पीता रहता है कि उसके मन, शरीर, परिवार और समाज पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा।''

मद्यनिषेध समिति के प्रतिवेदन के अनुसार— ''शराब के पीने के प्रभाव की ओर व्यक्तियों (मद्यपियों) में इतना आकर्षण होता है कि वह बिना सोचे समझे पीने लगता है कि उसके मस्तिष्क और शीर पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ''मद्यपान'' के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं—

1— शराब पीना ही मद्यपान है एवं पीने वाला व्यक्ति

❑ शोध अध्येता— समाजशास्त्र विभाग, नारायण कालेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ0प्र0) भारत

मद्यपी होता है।

2— मद्यपान या तो पाक्षिक हो सकता है, या फिर सामयिक।

3— मद्यपान, व्यक्ति की उस आदत की ओर संकेत करता है। जब कि व्यक्ति चाहते हुये भी इसे छोड़ नहीं सकता है।

4— मद्यपान एक ऐसी भयंकर सामाजिक बुराई है, जिससे स्वयं शराबी (मद्यपी) तथा समाज दोनों को क्षति होती है।

मद्यपियों का वर्गीकरण तथा लक्षण— मद्यपि प्राय दो प्रकार के होते हैं— प्रथम प्रकार के दो व्यक्ति जो शराब पीने के बाद भी अपने शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित रख सकते हैं, इनको संयम मद्यपी (मॉडरेट ड्रिन्कर) कहते हैं। द्वितीय प्रकार:— वे व्यक्ति जो शराब पीने के बाद अपने व्यवहार पर नियन्त्रण नहीं रख पाते और समाज के लिये भी समस्या बन जाते हैं, ऐसे मद्यपी सीमाध्तादात से अधिक पी लेते हैं, उन्हें घोरध्अभ्यस्तध्असंयम (हैविचुअल ड्रिन्कर) कहते हैं तथा इन दोनों प्रकार के मद्यपियों को समस्यात्मक मद्यपी (प्रॉबलम ड्रिन्कर) कहते हैं। जो स्वयं, परिवार, समुदाय तथा समाज के लिये विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। समस्या उत्पन्न (जनित) करने के सन्दर्भ में समाजशास्त्री डर्फी के अनुसार शराब, व्यक्ति के लिए समस्या तभी बनती है, जबकि—

1— उनके उपयोग से व्यक्ति (मद्यपी) के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाये, उसकी मानसिक शान्ति, उसके घर का आनन्दमय जीवन, उसका व्यवसायध्व्यापार और समाज में उसको भी शारीरिक रोग हो जाते हैं, अत्यधिक शराब पीने से विशेष रोग तो हो ही जाते हैं, साथ ही रोगों से लड़ने की व्यक्ति की शक्ति भी निश्चित रूप से कम हो जाती है। इस प्रकार के शराबी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु (दुर्घटना आदि से) होने की अधिक आशंका होती है।

शराब के प्रयोग को अच्छा बताना—

1— यदि शराब, एक निश्चित मात्रा में भोजन के साथ ली जाये, तो वह स्वास्थ्य और जीवन की अवधि को कोई खतरा उत्पन्न नहीं करती।

2— शराब, दवा के रूप में ली जा सकती है एवं ली जाती भी है।

3— यदि कम और निश्चित मात्रा में शराब ली जाए, तो इससे नशा नहीं होता है।

4— भारत में शराब का इतिहास (स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात)।

5— स्वतंत्रता से पूर्व— नशा करने वाले पेय पदार्थ भारत में प्राचीन काल से प्रयोग में लाये जाते रहे हैं। धार्मिक पुस्तकें बताती हैं कि इस प्रकार की नशीली वस्तुओं के प्रयोग को समाज घृणित दृष्टि से देखता था। साधारणतया समाज में गम्भीर प्रकृति के लोग थे और इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग समाज का निम्न वर्ग ही करता था। मध्य युग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग कुछ बढ़ गया, क्येंकि इस काल मे राजा और दरबारी, शराब अधिक पीने लगे थे, शराब दरबार की शान समझी जाने लगी थी। विदेशी, यात्रियों—टैवनियर, फाहियान, वास्कोडिगामा ने लिखा है कि हिन्दू तथा मुस्लिम काल में साधारण जनता में शराब खोरी तथा अन्य दुर्व्यसन नहीं आये थे। लेकिन इस प्रकार के प्रयोग बहुत ही कम थे और कभी शराब के ऊपर टैक्स आदि नहीं लिया गया क्योंकि इसका प्रयोग लगभग नगण्य था।

6— अंग्रेजों ने भारतीय प्रथा और तरीके को नहीं अपनाया वे अपने साथ इंग्लैण्ड की प्रथाएँ भी लाये। 1790 में आबकारी कानून बनाया गया, जिसकी आधारनीति यह थी कि शराब का कम से कम प्रयोग हो और उससे अधिक से अधिक टैक्स आये। किन्तु इस नीति का कोई हितकारी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत अंग्रेजी राज्य में शराब अधिक पी जाने लगी। शराब पीना अंग्रेजी की सभ्यता अपनायी वैसे—वैसे शराब भी अपना ली गई। शराब पर प्रतिबन्ध लगाने वाली विभिन्न प्रथाएँ, धर्म तथा सामाजिक नियम अंग्रेजी राज्य के कारण शिथिल पड़ते गये। शराब बनाने और बेचने का एक धन्धा पनप उठा। किन्तु इस व्यवसाय पर कुछ विशेष लोगों का एकाधिकार था। आदत तथा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए की जाने वाली तरकीबों से शराब पीना बढ़ता ही गया। शराब—पीना

(अंग्रेजी और उससे प्रभवित) समाज में स्वीकार किया जाने लगा। शराब–पीने लगभग सभी परिस्थितियों में सम्भव होने लगा। होटलों, सिनेमाघरों, क्लबों इत्यादि में तो यह साधारण बात थी। कार तथा रेल में यात्रा करते हुए भी शराब पी जाने लगी। शराब के बढ़ते प्रयोग में औद्योगीकरण तथा नगरीकरण ने भी सहारा दिया। घर से दूर और विषय परिस्थितियों के बीच पड़े हुए श्रमिक अपनी थकान दर करने और मनोरंजन के लिए शराब पीने लगे। सन् 1905 में ''इण्डियन एक्साइज कमेटी'' की नियुक्ति इस उद्देश्य से की गयी कि प्रत्येक प्रान्त के आबकारी प्रशासन की जाँच की जाए और यह देखा जाये कि प्रशासन निर्धारित ''आय–नीति'' को कहाँ तक क्रियान्वित करता है और साथ ही वह अभीष्ट सुधारों का सुझाव भी दें।

7– इस कमेटी की 1905–06 की रिपोर्ट में बताया गया कि ''विदेशी शराब का प्रयोग सभी श्रेणियों में बढ़ गया है। यदि रोक न लगायी गयी तो ताड़ी बहुत ही अधिक नशेवाजी उत्पन्न करेगी। देशी शराब भी बहुत ही अधिक शराब है। विदेशों में मँगाई गयी शराब अधिकांश सस्ती किस्म की है और इसका प्रयोग मध्यम श्रेणी में बढ़ता जा रहा है।'' औद्योगिक–श्रमिकों के विषय में कमेटी आगे कहती है, ''भारत में प्रयोग में आने वाली सम्पूर्ण शराब का चौथाई भाग देश के लगभग एक दर्जन औद्योगिक शहरों में ही खर्च होता है।''

8– 1905 की आबकारी नीति में भारत सरकार ने कहा है कि ''भारत सरकार उन लोगों की आदतों से हस्तक्षेप करने का विचार नहीं रखती जो नियत (कम) मात्रा में शराब का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए कुछ प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग शराब नहीं पीते हैं, वे इसे न पियें और जो लोग पीते हैं वे इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग न करें। इस नीति को सफल करने के लिए आय की दृष्टि से कर को सर्वथा गौड समझा जाये। इस नीति को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शराब पर बहुत अधिक कर लगाया जाये, किन्तु यह कर इतना ही होना चाहिए। कि शराब फिर गैर–कानूनी तरीके से न तो बनायी ही जाये और न खरीदी ही जाये यदि शराब पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया गया तो सम्भव है कि लोग शराब छोड़कर कोई अन्य नशीला पदार्थ प्रयोग करने लग जाता है।''

9– 1938 से कुछ प्रान्तों में कतिपय स्थानों में शराब बन्दी प्रारम्भ कर दी गयी। अन्य स्थानों में वही पुरानी नीति काम का आधार बनी रही। इसी बीच सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक संस्थाओं ने सरकार से कहा कि इस नीति से देश में शराब का प्रयोग कम नहीं हो रहा है परन्तु सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 1920 में अखिल भारतीय काँग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया और तभी से साधारण जनता भी यह माँग करने लगी कि शराब की दुकानें बन्द कर दी जानी चाहिये। भारतीय समस्याओं को समाप्त करने के लिए महात्मा गाँधी ने 1930 में वाइसराय के सम्मुख ग्यारह माँगें रखी। उनमें एक माँग यह भी थी कि शराब पूर्ण रूप से बन्द कर दी जानी चाहिए। 1921 के मौण्टफोर्ड–सुधारों के बाद बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने ऐसे नियम बनाये कि जिनके अनुसार स्थानीय संस्थाएँ चाहे तो शराब की बिक्री को कम या बन्द कर सकती है। परन्तु स्थानीय संस्थाओं के ऊपर इस विकल्प का बहुत प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि यदि किसी स्थान पर शराब बन्द कर दी गयी तो उसके पड़ोसी इलाकों में शराब के प्रयोग की मात्रा बढ़ती नजर आने लगती थी। गैर–कानूनी ढंग से शराब बनायी और बेची जाने का एक उद्योग पनपने की आशंका हो गयी या यह कहना चाहिए कि इसी कारण किसी स्थान विशेष में शराब बन्द ही न की जा सकी। मौण्टफोर्ड–सुधारों से विभिन्न प्रान्तों की विधान परिषदों द्वारा शराब को बन्द करने के लिये कानून बनने से शराब बन्दी आन्दोलन को कुछ बल मिलने लगा। 1937 में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने के बाद ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सका।

10– 1937 और 1939 के बीच पाँच प्रान्तों मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी सीमान्त प्रदेश (अब पाकिस्तान) पूर्ण रूप से शराब के व्यवहार को बन्द करने के लिए कानून बना दिये गये। इस दिशा में मद्रास राज्य ने नेतृत्व किया और राज्य का सलेम जिला अक्टूबर 1937 में शराब से रहित घोषित कर दिया गया। दूसरे राज्यों ने इसका अनुकरण किया। उदाहरण के लिए बम्बई और उत्तर प्रदेश में शराबबन्दी का कार्यक्रम, 1938 में लागू किया गया। किन्तु उपरोक्त सभी प्रयास थोड़े ही समय तक चले, 19ए39 में युद्ध छिड़ जाने के कारण देश में उथल–पुथल मच गयी। इसी समय काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने भी इस्तीफा दे दिया।

11– स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् की प्रगति– स्वतन्त्रता के पश्चात् मद्यपान–सम्बन्धी अपनायी गयी नीति की व्याख्या हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं:–

1– 1946 के उपरान्त मद्यनिषेध–कार्यक्रम

2– द्वितीय एवं तृतीय योजनाकाल के कार्यक्रम

3– 1966 तथा उसके बाद के कार्यक्रम।

सन् 1946 से 1955 के मध्य की प्रगति–

जब प्रसिद्ध एवं जनप्रिय मन्त्रिमण्डलों ने अपना कार्य सन् 1946 में सम्भाला, तब से इस कार्यक्रम में कुछ जान आ सकी। शराबबन्दी के कार्यक्रम को इस काल में काफी उन्नति हुई और 1955 तक मद्रास, आन्ध्र और बम्बई में पूर्ण रूप से शराब बन्दी कर दी गयी। बाकी देश में शराब पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया। आंशिक रूप से शराबबन्दी वाले प्रदेशों में एक जिले से लेकर 70 प्रतिशत इलाके तक में शराबबन्दी थी। पंजाब में एक ही जिले में शराबबन्दी की गयी, जबकि मैसूर के 70 प्रतिशत इलाके में शराबबन्दी कर दी गयी। कुछ राज्यों में विस्तृत शराबबन्दी के कानून पास कर दिये गये हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अब भी शराबबन्दी आंशिक रूप से ही है, और यह शराबबन्दी सरकार की विशेष आशा से जारी की गयी।

उन राज्यों में जहाँ आंशिक रूप से शराबबन्दी की गयी थी, दशा कुछ निम्न प्रकार की थी– उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में से 11 जिलों में और तीन तीर्थ स्थानों में शराब का प्रयोग अवैध घोषित कर दिया गया था। राज्य की सरकार ने यह निश्चित किया कि अन्तः सम्पूर्ण राज्य में शराब बन्द की जानी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. क्लाइनेल एच0जे0: 1956 अण्डरस्टेंडिग एण्ड काउन्सलिंग दि एल्कोहॉलिक, एविंगडन प्रेस (प्रा0लि0): न्यूयार्क।
2. कुमार आनन्दः 1995 अपराध शास्त्रः (मद्यपान की समस्या), विमल प्रकाशन मंदिर, आगरा (उ0प्र0)।
3. कुलश्रेष्ठ शुचिताः 1990 नशहीले पदार्थो के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रकाशित शोध–पत्र, राष्ट्रीयशोध संगोष्ठी, 19फरवरी 1990, डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग, आगरा उ0प्र0।
4. केलर एम0एण्ड बेरा ई0: 1955 दि प्रीवेलेन्स ऑफ एल्कोहलिज्मः क्वाटर्ली जर्नल ऑफ स्टडीज ऑन`ल्कोहल, न्यूयार्क दिसम्बर, 1955.
5. कपूर एस0पी0: 1986 अपराधशास्त्र तथा सामाजिक विघटनः मद्यपान, जगपत लाल प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्श इटावा, उ0प्र0
6. केल्लर एम0एण्ड ऐफोनबी0: 1956 दि प्रीवेलेन्स ऑफ एल्कोहलिज्मः क्वारर्ली जर्नल ऑफ स्टडीज ऑन ऐल्कोहल, अगस्त, 1956, न्यूयार्क।
7. जैलिनेक ई0 एम0: 1946 फेजिस इन ड्रिन्किंग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिक्स, क्वारटली जर्नल स्टडईीज ऑन एल्कोहलः जून, 1946 दि फ्री प्रेस, न्यूयार्क।
8. डरफी चार्ल्सः 1992 ''टू ड्रिन्क और नोंट टू ड्रिन्क'' (उद्धृत–मदन जी0आर0 इण्डियन

सोसल प्रॉबलम्स, विवेक प्रकाशन, दिल्ली)

9. टिंकिलबर्ग जे0आर0ः 1973 ऐल्कोहल एण्ड वॉइलेन्स, एकाडेमिक प्रेस, न्यूयार्क

10. दुबे एस0ः 1966 सामाजिक विघटन और सुधार (मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन, सरस्वती सदन प्रकाशन, दिल्ली–7)

11. नाउलिस हेलर एच0ः 1969 कोनोमिक प्रोबलम्स ऑफ मॉडर्न इण्डिया आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।

12. बेकम पी0एच0ः 1995 दि प्रीवेलेन्स ऑफ अल्कोहलिज्म, क्वाटरटर्ली जर्नल ऑफ स्टडीज ऑन एलकोहल, दिसम्बर 1995, दि फ्री, प्रेस, न्यूयार्क

13. बोंगर आर0 एण्ड एल0पी0ः 1916 दि ड्रिंकिंग मैन क्रिमनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कंडिसन्स, अमेरिकल सोसियोलॉजिकल रिब्यू, न्यूयार्क

14. मदान जी0आर0ः 1992 भारतीय सामाजिक समस्याएं, मदात्यय और नशाः विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली।